

## कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग जनपद न्यायालय बागपत।

### विज्ञप्ति


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के लिये जनपद न्यायालय बागपत के बाहर प्रस्तावित स्थल पर दो वाहन पार्किंग (मोटर साईकिल/साईकिल एवं कार पार्किंग) की नीलामी अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में दिनांक 29.03.2022 को अपराह्न 01:30 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में नियत है।

इच्छुक व्यक्ति वाहन पार्किंग के ठेके की नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित समय से केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत में उपस्थित होकर जानकारी कर सकते हैं।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन आदेश के अनुपालन में नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 29.03.2022 को अपराह्न 01:30 बजे जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में सम्पन्न किया जायेगा।

अधिक जानकारी के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/baghat> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) पर देखा जा सकता है तथा केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत से भी प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक:-22.03.2022


  
(शैलेन्द्र पाण्डेय)

अध्यक्ष,  
नीलामी समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
विशेष (एस.सी./एस.टी. एक्ट)  
बागपत।

### निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

01. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0ओ0 संख्या-562/उत्रीस-2-2007-1007(टी0सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
02. कार्यालय जिलाधिकारी महोदय बागपत।
03. कार्यालय तहसील सदर बागपत, खेकड़ा तथा बड़ौत।
04. कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपत एवं जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट पर चस्पा हेतु।
05. नोडल अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।

  
(शैलेन्द्र पाण्डेय)

अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
विशेष (एस.सी./एस.टी. एक्ट)  
बागपत।

## पार्किंग ठेका नीलामी समिति का कार्यवृत्त, जनपद न्यायालय बागपत।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश संख्या-50 दिनांकित 15.03.2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के लिये जनपद न्यायालय बागपत की बाहर प्रस्तावित स्थल पर दो वाहन पार्किंग (मोटर साईकिल/साईकिल एवं कार पार्किंग) की नीलामी हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

नीलाम समिति की बैठक आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे विश्राम कक्ष में बैठक सम्पन्न की गयी। बैठक में श्री सुशील कुमार-तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-04 बागपत एवं श्री राजन राठी, सिविल जज जूनियर डिवीजन/त्वरित न्यायालय बागपत उपस्थित आये। नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 29.03.2022 को अपराह्न 01:30 बजे जनपद न्यायालय बागपत के न्यायालय प्रंगण के सभागार कक्ष में सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है। नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/baghpat> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) पर नोडल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड कराया जायेगा तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कभी भी देखा व जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सकते है:-

### वाहन पार्किंग का विवरण व स्थान का विवरण

क्र.सं.	ठेके का विवरण	धरोहर राशि	भूमि का विवरण
01	कार पार्किंग	25000/- रूपये	34.00 मीटर x 30.00 मीटर
02	मोटर साईकिल व साईकिल पार्किंग	25000/- रूपये	34.10 मीटर x 31.00 मीटर

वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग की दरें निम्नवत है:-

कार पार्किंग (चार पहिया वाहन)	30 रूपये/वाहन
ऑटो रिक्शा (तीन पहिया वाहन)	20 रूपये/वाहन
मोटर साईकिल (दो पहिया वाहन)	20 रूपये/वाहन
साईकिल	05 रूपये/वाहन

### नीलामी की शर्तें निम्नवत है:-

01. यह वाहन पार्किंग ठेका दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक के लिये वैध होगा।
02. जिस ठेकेदार के यहां वाहन पार्किंग से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त ठेके की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
03. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
04. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। सरकारी बोली (विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10% जोड़कर) की 10% धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त बोली लगाने के अधिकार होगा।

✓


W

W


05. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित फॉर्म 150/- रूपये अदा कर केन्द्रीय नजारत अनुभाग से प्राप्त होगा तथा जमानत धनराशि के साथ जमा करने पर वैधानिक वेबसाइट से भी अपलोड किये जा सकते हैं। (प्रारूप संलग्न है।)
06. जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपना ठेका स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
07. नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊंची बोली को निरस्त कर दे तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें।
08. नीलामी की स्वीकृत धनराशि का 50% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि किसी भी स्थिति में आगामी 06 माह में पूर्ण रूप से जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर सकते हैं।
09. वाहन पार्किंग ठेकेदार को अपने स्थल की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड एवं मोटर साईकिल स्टैण्ड एवं कार पार्किंग निर्धारित स्थल पर किचड़, जल भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये स्वयं प्रबन्ध करना होगा और पार्किंग स्थल पर घास, कूड़ा-करकट आदि की नियमित साफ-सफाई करानी होगी।
10. जिस व्यक्ति के नाम से ठेका स्वीकृत होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-31/एस0 दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार 100/- रूपये का स्टॉम्प लाना होगा और नियमानुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
11. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं।
12. प्रत्येक व्यक्ति को अपने फॉर्म के साथ हैसियत प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड दाखिल करना होगा।
13. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु नीलामी में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को समाजिक दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

  
22/3/2022

**राजन राठी**  
सदस्य ठेका नीलामी समिति/  
सिविल जज जूनियर डिवीजन/  
त्वरित न्यायालय बागपत।

  
22-3-22

**सुशील कुमार-तृतीय**  
सदस्य ठेका नीलामी समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या-04 बागपत।

  
22/3/22

**शैलेन्द्र पाण्डेय**  
अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
विशेष (एस.सी./एस.टी. एक्ट)  
बागपत।

  
22/3/2022  
**District Judge**  
**Baghat**

## पार्किंग ठेका नीलामी समिति का कार्यवृत्त, जनपद न्यायालय बागपत।

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश संख्या-50 दिनांकित 15.03.2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक) के लिये जनपद न्यायालय बागपत की बाहर प्रस्तावित स्थल पर दो वाहन पार्किंग (मोटर साईकिल/साईकिल एवं कार पार्किंग) की नीलामी हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

नीलाम समिति की बैठक आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे विश्राम कक्ष में बैठक सम्पन्न की गयी। बैठक में श्री सुशील कुमार-तृतीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-04 बागपत एवं श्री राजन राठी, सिविल जज्ज् जूनियर डिवीजन/त्वरित न्यायालय बागपत उपस्थित आये। नीलामी समिति की उपस्थिति एवं निर्देशन में दिनांक 29.03.2022 को अपराह्न 01:30 बजे जनपद न्यायालय बागपत के न्यायालय प्रंगण के सभागार कक्ष में सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है। नीलामी में भाग लेने के लिये सभी जानकारी जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/baghpat> एवं माननीय उच्च न्यायालय की वेबसाईट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) पर नोडल अधिकारी बागपत के द्वारा अपलोड कराया जायेगा तथा इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कभी भी देखा व जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

इच्छुक व्यक्ति नियत तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सकते है:-

### वाहन पार्किंग का विवरण व स्थान का विवरण

क्र.सं.	ठेके का विवरण	धरोहर राशि	भूमि का विवरण
01	कार पार्किंग	25000/- रूपये	34.00 मीटर x 30.00 मीटर
02	मोटर साईकिल व साईकिल पार्किंग	25000/- रूपये	34.10 मीटर x 31.00 मीटर

वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु कार पार्किंग एवं मोटर साईकिल पार्किंग की दरें निम्नवत है:-

कार पार्किंग (चार पहिया वाहन)	30 रूपये/वाहन
ऑटो रिक्शा (तीन पहिया वाहन)	20 रूपये/वाहन
मोटर साईकिल (दो पहिया वाहन)	20 रूपये/वाहन
साईकिल	05 रूपये/वाहन


### नीलामी की शर्तें निम्नवत है:-

01. यह वाहन पार्किंग ठेका दिनांक 01.04.2022 से दिनांक 31.03.2023 तक के लिये वैध होगा।
02. जिस ठेकेदार के यहां वाहन पार्किंग से सम्बन्धित धनराशि बकाया है उसको या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। यदि किसी प्रकार वह व्यक्ति ठेका प्राप्त कर भी लेता है तो इसकी जानकारी होने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा उक्त ठेके की पुनः बोली करायी जा सकेगी।
03. न्यायालय में कार्यरत कर्मचारी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को नीलामी में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
04. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति की पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होना होगा। सरकारी बोली (विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10% जोड़कर) की 10% धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। बोलीकर्ता को जमानत धनराशि जमा करने के उपरान्त बोली लगाने के अधिकार होगा।


05. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को निर्धारित फॉर्म 150/- रूपये अदा कर केन्द्रीय नजारत अनुभाग से प्राप्त होगा तथा जमानत धनराशि के साथ जमा करने पर वैधानिक वेबसाईट से भी अपलोड किये जा सकते है।(प्रारूप संलग्न है।)
06. जिस ठेकेदार के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी वह व्यक्ति अपना ठेका स्वयं चलायेगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे सम्बन्धी या अन्य को किसी को हस्तान्तरित नहीं करेगा। उपरोक्त बातों की जानकारी किसी प्रकार से होने पर ठेका निरस्त कर जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और पुनः नीलामी करा दी जायेगी।
07. नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलने वाले के पक्ष में नीलामी की बोली स्वीकृत होगी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 24 दिनांकित 18.12.1950 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये सबसे ऊंची बोली को निरस्त कर दे तथा किसी भी बोली को स्वीकृत कर लें।
08. नीलामी की स्वीकृत धनराशि का 50% तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि किसी भी स्थिति में आगामी 06 माह में पूर्ण रूप से जमा करनी होगी। धनराशि जमा न करने की स्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह नियमानुसार कार्यवाही कर सकते है।
09. वाहन पार्किंग ठेकेदार को अपने स्थल की साफ-सफाई स्वयं करनी होगी। साईकिल स्टैण्ड के ठेकेदार द्वारा साईकिल स्टैण्ड एवं मोटर साईकिल स्टैण्ड एवं कार पार्किंग निर्धारित स्थल पर किचड़, जल भराव आदि की समस्या को रोकने के लिये स्वयं प्रबन्ध करना होगा और पार्किंग स्थल पर घास, कूड़ा-करकट आदि की नियमित साफ-सफाई करानी होगी।
10. जिस व्यक्ति के नाम से ठेका स्वीकृत होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या-31/एस0 दिनांकित 16.03.1988 में दी गयी शर्तों के अनुसार 100/- रूपये का स्टॉम्प लाना होगा और नियमानुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा।
11. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय स्वयं या प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा भौतिक स्थलीय निरीक्षण कर सकते है।
12. प्रत्येक व्यक्ति को अपने फॉर्म के साथ हैसियत प्रमाण-पत्र व आधार कार्ड दाखिल करना होगा।
13. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु नीलामी में उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को समाजिक दूरी एवं मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उलंघन करने पर माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत महोदय को यह अधिकार होगा की शासकीय धनराशि के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये वसूली उससे या उसकी सम्पत्ति से करा दें तथा किसी भी समय आवंटन-निरस्त कर दें।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

  
22/3/2022  
राजन राठी

सदस्य ठेका नीलामी समिति/  
सिविल जज जूनियर डिवीजन/  
त्वरित न्यायालय बागपत।

  
22-3-22

सुशील कुमार-तृतीय  
सदस्य ठेका नीलामी समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
न्यायालय संख्या-04 बागपत।

  
22/3/22

शैलेन्द्र पाण्डेय  
अध्यक्ष ठेका नीलामी समिति/  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
विशेष (एस.सी./एस.टी. एक्ट)  
बागपत।

Approved  
  
22/3/2022  
District Judge  
Baghpat

**जनपद न्यायालय बागपत।**

**वाहन पार्किंग आवेदन फॉर्म**

क्रमांक:-

नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम:-

पिता का नाम:-

स्थायी पता:-

वार्षिक आय:-

जन्मतिथि/उम्र:-

व्यवसाय:-

मोबाईल नम्बर:-

नवीनतम

फोटो

मैं/हम इस ठेका सम्बन्धी कार पार्किंग/मोटर साईकिल/साईकिल पार्किंग की नीलामी  
के सम्बन्ध में आवेदन करता/करती हूँ।

मेरे द्वारा दिनांक ..... को निराक्षित की गयी तथा रूपये .....  
का नगद/बैंक ड्राफ्ट/चैक संख्या ..... दिनांकित ..... धनराशि  
सिक्योरिटी के रूप में जमा कर दी गयी है। जिसे यदि मैं ठेका का कार्य करने में अस्मर्थ रहता हूँ या  
पूर्ण धनराशि जमा करने में असफल होता हूँ तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया  
जाये। नीलामी समिति की शर्तों को भली-भांति पढ़ व समझ लिया है। जिसका मैं भली-भांति पूर्ण रूप  
से पालन करूँगा।

फॉर्म में भरी गयी समस्त सूचना सही व सत्य है। यदि उपरोक्त सूचना असत्य पायी गयी  
तो मेरा फॉर्म निरस्त कर दिया जायेगा।

दिनांक:-

हस्ताक्षर आवेदक

**नोट:-**

ठेकेदार /व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने हेतु अपने आधार कार्ड आई0डी0 की  
स्वसत्यापित छायाप्रति, मोबाईल नम्बर, घर का बेसिक/टेलीफोन/मोबाईल नम्बर उक्त फॉर्म  
के साथ देना अनिवार्य होगा। अपूर्ण फॉर्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।